REPORT OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, I present the Thirty-Seventh Report (in English and Hindi) of the Committee on Government Assurances.

MOTION FOR ELECTION TO THE COIR BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI J. P. KURIEN): Madam, I beg to move:

"That in pursuance of clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with clause (e) of sub-rule (I) of rule 4 and sub-rule (1) of rule 5 of the Coir Industry Rules, 1954, this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Coir Board."

The question was put and the motion was adopted.

RE. MISUSE OF T.A.D.A. AGAINST A JOURNALIST IN MANIPUR

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (Haryana): Madam, I am on a point of order...

DR. G. VIJAY MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I want to submit...

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We will go one by one. First of all, Mrs. Sushma Swaraj... (*Interruptions*)... Dr. Reddy, I will call you after she finishes her point. I will also call you, Mr. Virumbi.

श्रीमती सुषमा स्वराज : धन्यवाद महोदया, आपने बहुत ही संजीदगी और शालीनता के साथ मुझे शून्यकाल में यह मसला उठाने की इजाजत दी। स्वाभाविक है क्योंकि शून्यकाल के महत्व को आपसे ज्यादा कौन जानता है क्योंकि आप तो स्वयं शून्यकाल के दौरान इस तरह के मसले को भावुकता से उठाती हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप पीठासीन न होतीं और सदस्यों के स्थान पर बैठी होतीं और यह मसला आपकी निगाह में आ जाता तो शायद मेरी जगह आप ही इस मसले को उठातीं।

महोदया, अभी अपने सदन के पिछले सत्र में जब आतंकवाद और विध्वंसक कार्यवाही निरोधक कानून जिसे संक्षेप में "टाडा" कहा जाता है, जब हमारे यहां उसकी अवधि बढ़ाने वाला विधेयक पास किया जा रहा था तो उसके विरोध में बोलते हुए हर सदस्य ने एक-के-बाद-एक चेतावनी भरे स्वर में यह संदेह प्रकट किया था कि इस कानून का प्रयोग आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कम और राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने के लिए ज्यादा किया जाएगा। जिन साथी सदस्यों ने इसका समर्थन किया, उन्होंने भी सुझाव के रूप में सरकार से यह जरूर आग्रह किया था कि इस कानून का प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ न किया जाए। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब से यह कानून पास हुआ है, पिछले एक महीने से जब से इसकी अवधि में बढ़ोतरी हुई है, रोजाना इस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं जिनसे उन सदस्यों के संदेह साबित हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में एक बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योगपति और हिसार के निर्वाचित विधायक श्री ओमप्रकाश जिंदल के खिलाफ इस "टाडा" का प्रयोग किया गया था, लेकिन आज जो मामला प्रकाश में आया है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर प्रदेश में छपने वाले दैनिक अखबार "द लानमेई धानवी" की महिला संपादिका सनाबम ओंग्बी बेलू और उनकी दूध पीती बच्ची को "टाडा" के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। महोदया, 8